

राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक एफ 5/अभि/सीटीएडी/मेडिकल एण्ड हेल्थ/2017-18/6524-37 दिनांक 4/2/19
प्राचार्य एवं नियंत्रक
मेडिकल कॉलेज,
डूंगरपुर।

विषय— मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर हेतु उपकरणों के क्रय करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत।

प्रसंग— आपका पत्र क्रमांक डीएमसी (कॉलेज)स्थापना-11/2019/62/25.01.2019।
महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत आप द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित उपकरणों के क्रय हेतु रु. 49.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है—

क्र.सं.	विवरण	राशि (लाखों में)
1.	Cardiac Monitor with defibrillator (4 nos.)	07.00
2.	Ultra sonography machine (1 nos.)	20.00
3.	Apheresis Machine for blood component separation (1 nos.)	20.00
4.	Infusion Pumps (6 nos.)	02.00
	Total	49.00

उक्त राशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्य, जोन उदयपुर को विभागीय पत्रांक क्रमांक एफ 5/अभि/ सीटीएडी/ मेडिकल एण्ड हेल्थ/2017-18/18316-43 दिनांक 27.06.2017 द्वारा राशि रु. 589.38 लाख हस्तान्तरित राशि में से 49.00 लाख प्राचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, डूंगरपुर को हस्तान्तरित होगी।

- यदि उक्त उपकरणों के क्रय की स्वीकृति अन्य किसी योजना/विभाग द्वारा स्वीकृत की गई हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। दोहरा व्यय का उत्तरदायित्व मेडिकल कॉलेज का होगा।
- राज्य सरकार के निर्देशानुसार समय पर निविदा आमंत्रित कराई जावें ताकि मूल लागत में वृद्धि ना हो। कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण न होने व कार्य में विलम्ब के कारण यदि लागत में वृद्धि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
- राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्यों का निष्पादन किया जावे तथा प्रगति से इस विभाग को अवगत करावें।
- उपकरणों का क्रय विषय विशेषज्ञों की देख-रेख में पूर्ण गुणवत्तापूर्वक किया जावेगा।
- उपकरण स्थापित करने के पश्चात रख रखाव व संचालन से संबंधित व्यय चिकित्सा विभाग द्वारा वहन किया जावेगा।
- उपकरण क्रय करने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लोटाई जावें।

भवदीय
(भवानी सिंह देथा) I.A.S.
आयुक्त

कृ.पू.उ.

क्र. एफ 5/अभि/सीटीएडी/मेडिकल एण्ड हेल्थ/2017-18/6524-87 दि. 4/2/19
प्रतिलिपि-

1. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
4. जिला कलक्टर, डूंगरपुर ।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उदयपुर/डूंगरपुर
6. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा ।
7. परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, डूंगरपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन उदयपुर को विभागीय पत्रांक क्रमांक एफ 5/अभि/ सीटीएडी/ मेडिकल एण्ड हेल्थ/2017-18/18316-43 दिनांक 27.06.2017 द्वारा राशि रु. 589.38 लाख हस्तान्तरित राशि में से 49.00 लाख प्राचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, डूंगरपुर को हस्तान्तरित करावें।
10. निदेशक, मॉनिटरिंग, कार्यालय हाजा ।
11. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा ।
12. गार्ड फाईल ।

आयुक्त

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721- 24 फेक्स : 0294-2428721
ई-मेल : comm.tad@rajasthan.gov.in, Website www.tad.rajasthan.gov.in